अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–1481/नौ–7–2013–27ज/2004

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3.निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2013

विषय–प्रदेश के बाढग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण, जलापूर्ति किये जाने एवं संक्रामक रोगों से बचाव के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मा0 राजस्व मंत्री, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02–09–2013 को सम्पन्न हुई बैठक में निम्न निर्देश दिये गये:–

(1) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सम्बंधित अधिकारियों द्वारा सघन भ्रमण किया जाय तथा विभाग से सम्बंधित बाढग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण, जलापूर्ति किये जाने एवं संक्रामक रोगों से बचाव के संबंध मे सभी तैयारियॉ पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

(2) जल भराव से सम्बंधित स्थलों को चिन्हित कर पानी निकासी हेतु आवश्यकतानुसार पम्प आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(3) जलजनित रोगों के नियंत्रण हेतु पेयजल की नियमित क्योरिनेशन तथा ओवर हेड टैंक की सफाई की जाय। संक्रामक रोगों से बचने हेतु कीटनाशक दवाईयों तथा एंटीलार्वा के छिडकाव तथा फागिंग की मुकम्मल व्यवस्था की जाय। मच्छर जनित रोगों की रोक थाम हेतु एक निर्धारित शिड्यूल के अनुसार वार्डो में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से फागिंग की जाय।

(4) शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल, जल निकासी आदि कार्यो की नागर निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर ली जाय, जिसमें कमियॉ पाये जाने पर उनके निराकरण के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

go-y

2— उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश की नागर निकायों द्वारा बाढग्रस्त क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–986 / नौ–7–13–27ज / 2004 दिनांक 22 मार्च, 2013 व शासनादेश संख्या–1581 / नौ–7–13–27ज / 2004 दिनांक 19 जून, 2013 में दिये गये निर्देशों के साथ उल्लिखित निर्देशों का तत्काल कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश।
2— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, / सचिव, राजस्व / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / खाद्य एवं औषधि प्रशासन / ऊर्जा / सिचाई एवं बाढ नियंत्रण / लोक निर्माण विभाग।
5— सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6— समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)
7— प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8— समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
9— नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10— कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,
04/9/2013
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

go-y